न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 148/2020

प्रार्थी

1. आसूराम पुत्र तगाराम
   जाति भील निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. मफीदेवी पत्नी भीमाराम जाति भील निवासी गुड़ामालानी
3. वेरसीराम पुत्र हरचंदराम जाति भील निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–1. श्री डालूराम चौधरी वकील प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 1-1-2021

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 235/13 रकबा 8–13 बीघा किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा आलपुरा पटवार मण्डल आलपुरा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। विप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 235/3 रकबा 12–15 बीघा की ग्राम आलपुरा में आई हुई थी। जिसमें विप्रार्थीनी ने सर्वप्रथम उक्त खसरे के दक्षिण दिशा में रास्ते हेतु उगराराम पुत्र कानाराम के खेत के सेढे से खसरा नम्बर 235/5 के सेढे तक जहां पर पूर्व में आवागमन हेतु रास्ता था वहां पर रकबा 1–02 बीघा की भूमि कार्यालय तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश कमांक 284–286 दिनांक 02.01.2008 द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करवा दी गई जिस पर उसी समय ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल सड़क का निर्माण कर दिया तथा शेष बचा रकबा 11–13 बीघा भूमि में से रकबा 8–13 बीघा भूमि का प्रार्थी को दस्तावेज संख्या 2009001597 के द्वारा बेचान कर दिया गया जिसका नया खसरा नम्बर 235/13 कायम किया बतौर प्रार्थी की खातेदारी दर्ज की गई एवं उसके बाद बचा रकबा 3–00 बीघा की भूमि का बेचान वेरसीराम पुत्र हरचंदराम जाति भील निवासी आलपुरा को किया गया जिसके खसरा नम्बर 235/14 बीघा पर बेचान दस्तावेज में दर्शाए पड़ौस के अनुसार काबिज [illegible] भूमि का [illegible] व उपभोग निर्बाध रूप से करता आ रहा है। विप्रार्थीनी संख्या [illegible] राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करवाये गये [illegible] नहीं कर विप्रार्थीनी के नामे ही रखा हुआ [illegible] की गई भूमि खसरा नम्बर 235/13 रकबा 8–13 बीघा की तरमीम [illegible]ठा ट्रेस में बेचान दस्तावेज में दर्शाए पड़ौस से भिन्न कर दी गई है, विप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा समर्पित भूमि जिसका राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं किया की तरमीम प्रार्थी के खसरे से दक्षिण दिशा में प्रार्थी के खसरे के लम्बवत् करनी चाहिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:51:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

थी तथा प्रार्थी के खसरे की तरमीम उगराराम व चैनीदेवी के खसरे के सटती हुई करनी चाहिये थी परन्तु विप्रार्थी संख्या 01 के अधिनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों ने बिना मौका देखे व बिना बेचान दस्तावेज के अध्ययन किये गलत रूप से समर्पित भूमि के तरमीम प्रार्थी के रकबे में व प्रार्थी के खसरे की तरमीम सड़क के लिये समर्पित रकबे के स्थान पर कर दी गई है। इस प्रकार प्रार्थी के खसरा नम्बर 235/13 व खसरा नम्बर 235/3 एवं खसरा नम्बर 235/14 की तरमीम गलत कर दी गई है जिससे मौके व नक्शा ट्रेस में भिन्नता आ गई है। जिससे प्रार्थी द्वारा तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत करना अतिआवश्यक होने से पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहे। भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी से तथ्यात्मक रिर्पोट ली गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा रिर्पोट क्रमांक 2932 दिनांक 03.12.2020 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम आलपुरा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में खसरा नम्बर 235/13 रकबा 8–13 बीघा भूमि आसूराम वल्द तगाराम कौम भील सा. गुड़ामालानी के नाम दर्ज है। वर्तमान खातेदार आसूराम ने उक्त भूमि मफीदेवी पत्नी भीमाराम कौम भील से क्रय की गई थी। ग्राम आलपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 के खाता संख्या 176 खसरा नम्बर 235/3 रकबा 12–15 बीघा बीघा भूमि मफीदेवी जोजे भीमाराम कौम भील सा. डांगरिया खातेदार के नाम दर्ज थी। उक्त खसरा नम्बर 235/3 की तत्कालीन खातेदार मफीदेवी द्वारा खसरा नम्बर 235/3 रकबा 12–15 में से रकबा 1–03 बीघा भूमि जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश क्रमांक 284–86 दिनांक 02.01.2008 द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण की जा चुकी है। उक्त समर्पण भूमि का राजस्व अभिलेख में अमलदरामद नहीं हुआ। उक्त समर्पण आदेश में 1–03 बीघा भूमि खसरा नम्बर 232/5 की सीमा से 235/3 की सीमा तक खसरा नम्बर 235/4 के समानान्तर समर्पण की गई थी। समर्पण भूमि को राजकीय भूमि मानते हुए ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल डालकर रास्ता बनाया गया। वर्तमान मौका अनुसार ग्रेवल एवं रास्ता समर्पण आदेश में प्रस्तावित समर्पण भूमि पर ही है। समर्पण आदेश का राजस्व अभिलेख में अमलदराम नहीं हुआ। तत्पश्चात उक्त खसरा नम्बर 235/3 की खातेदार मफीदेवी द्वारा उप पंजीयक गुड़ामालानी के पंजीयन क्रमांक 2009001597 व 2009001598 दिनांक 13.07.2009 स्वीकृत होने से खसरा संख्या 235/3 रकबा 12–15 बीघा में से खसरा नम्बर 23[illegible] रकबा 3–00 बीघा वेरसीराम वल्द हरचन्दराम एवं खसरा नम्बर [illegible]/13 रकबा 8–13 बीघा आसूराम वल्द तगाराम एवं शेष खसरा संख्या 235[illegible] रकबा 1–02 बीघा भूमि मफीदेवी (विक्रेता) के नाम राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1107 की पुश्त पर तरमीम अंकित नहीं है। उक्त खसरों की तरमीम नक्शा लट्ठा ट्रेस में अंकित है, जो कब्जा मौका अनुसार नहीं है। समर्पण आदेश, ग्रवल रास्ता एवं कब्जा काश्त के आधार पर संलग्न नजरी नक्शा बरंग लाल अनुसार खसरा नम्बर 235/3

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:51:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

रकबा 1–02 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में अमलदरामद एवं खसरा नम्बर 235/3, 235/13 व 235/14 की तरमीम दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त विवेचन एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली तथा पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात तथा तहसीलदार की रिर्पोट के अध्ययन से न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 235/3, 235/13 व 235/14 की तरमीम राजस्व कर्मियों द्वारा समर्पण आदेश एवं बेचाननामा के अनुरूप नहीं करते हुए उससे विपरीत करदी गई है। समर्पण आदेश व बेचाननामा में दर्शाए अनुसार एवं वर्तमान लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम में भिन्नता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 235/13 रकबा 8–13 बीघा व खसरा नम्बर 235/3, 235/14 भूमि का राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे व मौका कब्जा अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करने व खसरा नम्बर 235/3 की भूमि समर्पित होने से राज्य सरकार के नाम करने के आदेश दिये जाते हैं। तथा उक्त गलत तरमीम के लिये दोषी कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी आदेशों की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें। तहसीलदार गुड़ामालानी की रिर्पोट क्रमांक : 2932 दिनांक 03.12.2020 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 1.1.21 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:51:28 IST
Reason: SelfAttested